

मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन

1. उद्देश्य: यह मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) टीएचडीसीआईएल की सभी इकाइयों में प्रभावी निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार की गई है, जिसमें 2016 के निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है। यह एसओपी उत्तरदायित्वों के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है और अपशिष्ट उत्पादन, संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निपटान से संबंधित उत्तरदायित्वों और प्रक्रियाओं के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

2. विस्तार क्षेत्र: यह एसओपी टीएचडीसीआईएल की समस्त परियोजनाओं /इकाइयों/ कार्यालयों पर व्यापक रूप से लागू होगी।

3. परिभाषाएँ:

- **निर्माण:** किसी भवन या विनिर्माण सुविधा के निर्माण की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत बुनियादी ढांचा और इन संस्थाओं में किसी भी प्रकार के बदलाव को सम्मिलित किया गया है।
- **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट:** अपशिष्ट में निर्माण सामग्री, मलबा और मलबे शामिल हैं जो किसी भी नागरिक संरचना के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और विध्वंस से उत्पन्न होते हैं।

- **डी-कंस्ट्रक्शन:** योजनाबद्ध चयनात्मक विध्वंस जो ध्वस्त संरचना के बचाव, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को अधिकतम करता है।
- **विध्वंस:** इमारतों और अन्य संरचनाओं को मैनुअल रूप से, यांत्रिक बल का उपयोग करके, या विस्फोटकों का उपयोग करके विस्फोट करके तोड़ना या गिराना।

4. अपशिष्ट उत्पादक के कर्तव्य (टीएचडीसीआईएल):

- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, नियमों के अनुसार संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्देशित या अधिसूचित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण और भंडारण के लिए उत्तरदायी है।
- अपशिष्ट उत्पादकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आदेशित अपशिष्ट, जैसे ठोस अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हो तथा उसका भंडारण एवं निपटान अलग से किया जाए।
- एक महीने में प्रति परियोजना 20 टन या 300 टन से अधिक उत्पन्न करने वाले अपशिष्ट उत्पादकों को कचरे को चार धाराओं में अलग करना होगा। कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंटें और गीली मिट्टी, निर्माण या विध्वंस कार्य शुरू करने से पहले उन्हें एक अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करनी होगी और उसके लिए स्थानीय प्राधिकरण से उचित अनुमोदन प्राप्त करना होगा और पूरे प्रोजेक्ट के दौरान संबंधित अधिकारियों को सूचित करना होगा।

5. सेवा प्रदाताओं और ठेकेदारों के कर्तव्य:

- सेवा प्रदाता इन नियमों को अधिसूचना की तारीख से छह महीने के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण और विध्वंस कचरे के पृथक्करण, भंडारण, संग्रह, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, परिवहन और निपटान को कवर करते हुए एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करेंगे।
- सेवा प्रदाताओं को सभी निर्माण और विध्वंस कचरे को हटाना होगा और यदि संभव हो तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के परामर्श से उचित समय सीमा के अनुसार प्रतिदिन क्षेत्र को साफ करना होगा।
- यदि सेवा प्रदाताओं के पास अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को चलाने के लिए लॉजिस्टिक समर्थन की कमी है, तो उन्हें निर्माण और विध्वंस कचरे को हटाने के लिए अधिकृत एजेंसियों के साथ जुड़ना होगा और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

6. परिवहन और भंडारण के दौरान धूल शमन के उपाय:

- निर्माण सामग्री और सीएंडडी अपशिष्ट को ले जाने के लिए परिवहन मार्गों की पहचान की जानी चाहिए ताकि आवासीय, संस्थागत और अस्पताल क्षेत्रों से बचा जा सके।
- परिवहन के दौरान सामग्री को ले जाते समय जूट, तिरपाल या प्लास्टिक शीट जैसी सामग्री का उपयोग करके सही तरीके से ढका हुआ होना चाहिए।

- परिवहन के दौरान रिसाव को रोकने के लिए ट्रकों/लॉरी में ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए।
- धूल फैलाव को कम करने के लिए सी एंड डी अपशिष्ट और निर्माण सामग्री के भंडारण क्षेत्रों का सीमांकन और बैरिकेडिंग करना होगा।
- भंडारण और परिवहन किये गये निर्माण सामग्री और सी एंड डी कचरे से धूल उत्सर्जन को कम करना चाहिए इसके लिए पानी के छिड़काव या कवरिंग जैसे सामग्री का उपयोग करना चाहिए।

7. प्रशिक्षण और जागरूकता:

- इस एसओपी के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए टीएचडीसीआईएल निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में सम्मिलित कर्मचारियों और ठेकेदारों के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगी।

8. अनुपालन और निगरानी:

टीएचडीसीआईएल इस एसओपी के अनुपालन की सावधानीपूर्वक निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर ऑडिट करेगी कि सभी इकाइयां निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों का पालन करेंगे। एसओपी का अनुपालन न करने पर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई या दंड लगाया जा सकता है।

9. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का निपटान:

- टीएचडीसीआईएल इकाइयां यह सुनिश्चित करेंगी कि निर्माण और विध्वंस कचरे का निपटान निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियमों और किसी भी अन्य लागू नियमों के अनुसार सख्ती से किया जाए।
- पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सभी अपशिष्ट निपटान स्थलों को चयनित, डिज़ाइन और रखरखाव करना होगा और धूल उत्सर्जन और रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से संरेखित और कवर किया जायेगा।

10. रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड-कीपिंग:

- टीएचडीसीआईएल इकाइयों को निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट उत्पादन, पृथक्करण, संग्रह, परिवहन और निपटान का सटीक रिकॉर्ड रखना होगा।
- अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर नियमित रिपोर्टिंग संबंधित स्थानीय अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप और समयसीमा के अनुसार प्रस्तुत करनी होगी।

11. आपातकालीन प्रतिक्रिया:

- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित घटनाओं के लिए टीएचडीसीआईएल इकाइयां आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं प्रमाणित करेंगी, जिनमें रिसाव, दुर्घटनाएं और नियमों का अनुपालन न करना शामिल किया गया हो।

- कर्मचारियों और ठेकेदारों को आपात स्थिति के मामले में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षित किया जायेगा।

12. सर्वोत्तम प्रथाएँ:

- टीएचडीसीआईएल इकाइयों को निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा, जैसे सामग्री के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को अधिकतम करना और पर्यावरण-अनुकूल निर्माण तकनीकों को बढ़ावा देना।

13. समीक्षा और संशोधन:

इस एसओपी की वार्षिक या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी ताकि इसकी प्रभावशीलता और पर्यावरणीय नियमों के साथ संरेखण सुनिश्चित किया जाये।

14. निरंतर सुधार:

- टीएचडीसीआईएल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करेगा।

परिशिष्ट: उत्तरदायित्व और समयसीमा

चरण	उत्तरदायित्व	संबंधित विभाग	लक्षित तिथि
01	परियोजना स्थल पर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग:	तिमाही रिपोर्टिंग के बाद वाले

	अनुस्मारक पत्र भेजना।	टीएचडीसीआईएल- नोडल विभाग	माह का आने वाला कार्य दिवस
02	मा.स.एवं प्रशा./ सर्विसेज/ स्टोर/ किसी अन्य संबंधित विभाग/ (जैसा लागू हो) के परामर्श से जानकारी एकत्र करना।	पर्यावरण विभाग: परियोजना-नोडल विभाग	7 दिनों के भीतर
03	परियोजना स्थल पर संबंधित विभागों से जानकारी एकत्र करना और अपशिष्ट डेटा को परियोजना पर परियोजना नोडल विभाग यानी पर्यावरण विभाग /परियोजना नोडल विभाग को रिपोर्टिंग तिमाही के बाद के माह की 7वीं तारीख को या उससे पूर्व उपलब्ध कराना।	मानव संसाधन/सेवा विभाग	
04	कॉर्पोरेट नोडल विभाग को एक्सेल शीट में अपशिष्ट डेटा उपलब्ध कराना।	पर्यावरण विभाग: परियोजना-नोडल विभाग	तिमाही रिपोर्टिंग के बाद के माह की 15वीं तारीख को/उससे पूर्व।

05	संबंधित परियोजना नोडल अधिकारियों से प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित और विश्लेषित करना, तिमाही आधार पर आंकड़ों का प्रबंधन करना, तथा संबंधित प्राधिकरण को अपशिष्ट संबंधी आंकड़ों का मूल्यांकन करना।	कॉर्पोरेट पर्यावरण विभाग: टीएचडीसीआईएल- नोडल विभाग	त्रैमासिक/वार्षिक (वित्त वर्ष) आधार पर
----	--	--	--

